Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

Original Article

पैतृक संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रति समाज की धारणा और समझ: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन पटना जिला के संदर्भ में

डॉ. रीना कुमारी

असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान विभाग त्रिमूर्ति कॉलेज, इस्माइलपुर पुनपुन पटना।

Email: Skkr8579@ gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2026-180247
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 2(A)
Pp. 235-241
February - 2026
Submitted: 19 Jan. 2026
Revised: 29 Jan. 2026
Accepted: 14 Feb. 2026
Published: 28 Feb. 2026

शोध सार (Abstract)

यह अध्ययन पटना जिला के संदर्भ में पैतृक संपत्ति के अधिकार से जुड़े कानूनों, विशेष रूप से हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 और उससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रति समाज की धारणा और समझ का विश्लेषण करने के उद्देश्य से किया गया था। इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह जानना था। कि समाज में लोग, विशेष रूप से महिलाएँ और पुरुष, बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देने वाले कानूनी प्रावधानों के बारे में कितना जानते हैं और इन अधिकारों को व्यवहार में किस प्रकार देखते हैं। अध्ययन के लिए पटना जिला के निवासियों को उत्तरदाता के रूप में चुना गया। डेटा संग्रह के लिए संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया, जिसके माध्यम से उत्तरदाताओं से उनके विचार, जानकारी और अनुभव से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई। एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक सांख्यिकी और तुलनात्मक विश्लेषण की सहायता से किया गया, जिससे यह समझने का प्रयास किया गया कि कानून की जानकारी, सामाजिक दृष्टिकोण और पारिवारिक व्यवहार के बीच किस प्रकार का संबंध मौजूद है। अध्ययन के परिणामों से यह सामने आया कि अधिकांश लोगों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के बारे में सामान्य जानकारी तो है, लेकिन इसकी विस्तृत कानूनी समझ अभी भी सीमित है। विशेष रूप से महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, फिर भी कई मामलों में पारिवारिक परंपराएँ और सामाजिक मान्यताएँ इन अधिकारों के उपयोग को प्रभावित करती हैं। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णयों ने बेटियों के समान संपत्ति अधिकार को मजबूत किया है, लेकिन समाज में इन निर्णयों की जानकारी अभी पूरी तरह से नहीं पहुँची है। समग्र रूप से यह अध्ययन दर्शाता है कि कानूनी सुधारों के बावजूद वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिए सामाजिक जागरूकता, कानूनी शिक्षा और सकारात्मक पारिवारिक दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक हैं।

मुख्य शब्द: *पैतृक संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005, संशोधन, सुप्रीम कोर्ट, समाज की धारणा और समझ,*

परिचय (Introduction)

भारतीय समाज में पैतृक संपत्ति के अधिकारों का प्रश्न सदियों से पितृसत्तात्मक मानसिकता और लैंगिक असमानता की जटिल परतों से जुड़ा रहा है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने महिलाओं को विधिक मान्यता तो प्रदान की, लेकिन पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार देने में असमर्थ रहा, जो मिताक्षरा व्यवस्था के तहत केवल पुरुष सहदायिकों तक सीमित था। इस भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के रूप में उठाया गया, जिसने बेटियों को जन्म से ही सहदायिकी का दर्जा प्रदान कर उन्हें पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार दिए। तथापि, इस संशोधन की पूर्वव्यापी प्रभावशीलता को लेकर उत्पन्न विधिक अनिश्चितताओं का समाधान सर्वोच्च न्यायालय ने विनीता **राकेश शर्मा (2020)** के ऐतिहासिक निर्णय में किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि बेटी का सहदायिकी अधिकार उसके जन्म पर आधारित है, न कि इस बात पर कि पिता संशोधन अधिनियम के लागू होने के समय जीवित था या नहीं। साहित्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि विधिक समानता के इस प्रावधान और उसके वास्तविक क्रियान्वयन के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतराल विद्यमान है। आर्थिक एवं सामाजिक शोध यह संकेत देते हैं कि पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंड परिवारों की नीतिगत प्रतिक्रियाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
डॉ. रीना कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान विभाग त्रिमूर्ति कॉलेज, इस्माइलपुर पुनपुन पटना।

How to cite this article:
कुमारी, . रीना . (2026). पैतृक संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रति समाज की धारणा और समझ: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन पटना जिला के संदर्भ में. Journal of Research & Development, 18(2(A)), 235–241. https://doi.org/10.5281/zenodo.18950177

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.18950177
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

सुतो (2025) के अनुसार, जहां छोटी भूमि वाले ग्रामीण परिवार भूमि विभाजन के जोखिम के कारण बेटियों को संपत्ति न देकर शिक्षा के रूप में प्रतिपूर्ति करते हैं, वहीं बड़े भू स्वामियों की बेटियां वास्तविक संपत्ति प्राप्त कर पाती हैं।

यह विविधतापूर्ण प्रतिक्रिया दर्शाती है कि कानूनी परिवर्तनों के प्रति समाज की स्वीकार्यता और समझ एकरूप नहीं है, बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न परिणाम उत्पन्न करती है। इस संदर्भ में, शोध आधारित साक्ष्य यह भी उजागर करते हैं कि महिलाएं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए न्यायालयों का सहारा तो लेती हैं, किंतु यह मार्ग चुनौतियों से भरा है। अग्रवाल एवं नायक (2024) के विश्लेषणानुसार, उच्च न्यायालयों में दायर 77% मामलों में निर्णय महिलाओं के पक्ष में आते हैं, लेकिन इनमें से केवल 52% में उन्हें सहदायिकी संपत्ति में प्रत्यक्ष हिस्सा प्राप्त होता है। यह आंकड़े बताते हैं कि विधिक प्रावधानों के बावजूद, पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों की प्राप्ति में सामाजिक प्रतिरोध और पारिवारिक दबाव प्रमुख बाधक तत्व हैं। विमला एवं अन्य (2025) का तर्क है कि असमानता की निरंतरता केवल विधिक अपूर्णता का मामला नहीं है, बल्कि क्रियान्वयन क्षमता, डेटा अवसंरचना और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन का मामला है। भारद्वाज (2021) के अनुसार, कानून के शब्द शायद ही कभी समाज की जड़ों तक पहुंच पाते हैं, जहां बेटियों को वित्तीय बोझ के रूप में देखा जाता है और पुरुषों को वंश के एकमात्र वाहक के रूप में स्थापित किया गया है। यह प्राचीन और पितृसत्तात्मक विश्वास कि पुरुष ही पैतृक संपत्ति के वैध स्वामी होने चाहिए, आज भी समाज में व्याप्त है। प्रस्तावित शोध की मुख्य परिकल्पना यह है कि लैंगिक समानता एवं पैतृक संपत्ति के अधिकार को सामाजिक जकड़न के कारण ज्यादातर लोगों की समझ इस कानून के खिलाफ होती है। यह परिकल्पना इस तथ्य पर आधारित है कि पारंपरिक पितृसत्तात्मक संरचना में पल रहे भारतीय समाज में संपत्ति के अधिकारों को लेकर गहरी सामाजिक मनोवैज्ञानिक जकड़न विद्यमान है। परिवार में रिश्तों में कड़वाहट का डर, सामाजिक बहिष्कार का भय, दहेज प्रथा को संपत्ति के विकल्प के रूप में देखना, और बेटी को 'पराया धन' मानने की मानसिकता जैसे तत्व इस जकड़न को बनाए रखते हैं। इस शोध का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रति भारतीय लोगों की सोच और समझ का गहन विश्लेषण करना है, विशेष रूप से यह जानना कि किस प्रकार सामाजिक जकड़न इस कानून के प्रति नकारात्मक धारणा को बढ़ावा देती है और लैंगिक आधार पर इस धारणा में क्या भिन्नता है। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष न केवल विधिक जागरूकता के विस्तार में सहायक होंगे, अपितु नीति निर्माण और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

शोध आधारित साहित्य की समीक्षा (Review of Literature): प्रस्तावित शोध में प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत है। यह समीक्षा विधिक प्रावधानों, न्यायिक व्याख्याओं, सामाजिक धारणाओं और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों को केंद्र में रखकर तैयार की गई है।

1. ऐतिहासिक एवं विधिक परिप्रेक्ष्य (Historical and Legal Perspective)

भत्तुनि एवं चौबे (2024) के अनुसार, हिंदू उत्तराधिकार कानून का विकास पारंपरिक मिताक्षरा और दायभाग प्रणालियों से होता हुआ आधुनिक विधायी सुधारों तक पहुंचा है। पारंपरिक हिंदू संयुक्त परिवार व्यवस्था में सहदायिकी की संरचना स्वाभाविक रूप से पितृसत्तात्मक थी, जिसमें महिलाओं को संयुक्त परिवार की संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर रखा गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी हस्तक्षेप किया, किंतु यह महिलाओं को समान सहदायिकी अधिकार प्रदान करने में असमर्थ रहा।

बेलुज़ो (2022) ने अपने विश्लेषण में बताया है कि 1956 के अधिनियम के तहत महिलाओं को केवल उनके कब्जे वाली संपत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए, किंतु ये अधिकार पैतृक संपत्ति तक विस्तारित नहीं थे। इसके विपरीत, पुरुषों को पैतृक संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त था। यह भेदभावपूर्ण प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में निहित लैंगिक समानता के मूल सिद्धांतों के विपरीत था।

2. हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005: एक मील का पत्थर:-

विमला एवं अन्य (2025) के अनुसार, 2005 का संशोधन अधिनियम औपचारिक समानता के वादे और असमान परिणामों के बीच के द्वंद्व को समझने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस संशोधन ने धारा 6 में परिवर्तन करते हुए बेटियों को जन्म से ही सहदायिकी का दर्जा प्रदान किया, जो पुत्रों के समान अधिकार और दायित्व रखती हैं।

सरकार एवं सिंह (2024) ने अपने आलोचनात्मक अध्ययन में बताया है कि यह संशोधन अधिनियम हिंदू उत्तराधिकार कानून में निहित लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने और इसे संवैधानिक समानता की आवश्यकता के अनुरूप लाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, हालांकि, इसके क्रियान्वयन और व्याख्या ने अनेक मुद्दों और चुनौतियों को जन्म दिया, जैसे संशोधन की पूर्वव्यापी प्रभावशीलता, बेटियों के अधिकारों पर विभाजन का प्रभाव, और विभिन्न हिंदू विधि शाखाओं में इसकी प्रयोज्यता।

3. न्यायिक व्याख्याओं का विकास: प्रकाश से विनीता शर्मा तक: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने इस कानून के दायरे और प्रयोज्यता को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एससीसी ऑनलाइन (2026) के विस्तृत विश्लेषण के अनुसार, न्यायालयों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं।

गंडुरी कोटेश्वरम्मा बनाम चकिरि यनादि (2011) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा बेटियों को प्रदत्त अधिकार निरपेक्ष हैं, और यदि अंतरिम डिक्री पारित होने के बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनसे हिस्सों में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, तो न्यायालय अंतरिम डिक्री में संशोधन कर सकता है।

प्रकाश बनाम फुलवती (2016) में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संशोधित प्रावधान के प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि पिता और पुत्री दोनों 9 सितंबर 2005 को जीवित हों।

दानम्मा बनाम अमर (2018) में, जो प्रकाश बनाम फुलवती से भिन्न था, न्यायालय ने उन पुत्रियों को भी हिस्सा प्रदान किया जिनके पिता की मृत्यु 2001 में हो चुकी थी। इन विरोधाभासी निर्णयों के कारण कानूनी अनिश्चितता उत्पन्न हो गई, जिसे समाप्त करने के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) का ऐतिहासिक निर्णय दिया।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

भारद्वाज (2021) ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इसने हिंदू महिलाओं को हिंदू परिवारों में पुत्रों के समान दर्जा प्राप्त करने में आने वाली अंतिम बाधा को समाप्त कर दिया।

शोध अंतराल (Research Gap): उपरोक्त साहित्य समीक्षा से स्पष्ट होता है कि जहां एक ओर विधिक और न्यायिक विकास ने पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकारों को सैद्धांतिक रूप से स्थापित कर दिया है, वहीं दूसरी ओर इन अधिकारों के प्रति सामाजिक धारणाओं, जागरूकता और क्रियान्वयन से संबंधित अध्ययनों की कमी है। प्रस्तुत शोध इसी अंतराल को भरने का प्रयास करेगा, विशेष रूप से यह समझने का कि सामाजिक जकड़न के कारण लोगों की समझ इस कानून के विरुद्ध कैसे काम करती है और लैंगिक आधार पर इस धारणा में क्या भिन्नता है।

उद्देश्य (Objectives):- प्रस्तावित शोध का मुख्य उद्देश्य पैतृक संपत्ति में महिलाओं के समान अधिकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005) के प्रति भारतीय समाज की सोच और समझ का गहन विश्लेषण करना है। इस शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि आम लोग इस कानूनी प्रावधान को किस दृष्टि से देखते हैं और वे इसके प्रति कितने जागरूक हैं। साथ ही, यह भी समझना है कि लैंगिक समानता के इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान को लोग अपने दैनिक जीवन और सामाजिक संरचना में किस प्रकार आत्मसात कर पा रहे हैं या नहीं।

अध्ययन की परिकल्पना (Hypothesis of the study):- इस शोध की मुख्य परिकल्पना यह है कि लैंगिक समानता एवं पैतृक संपत्ति के अधिकार के प्रति सामाजिक जकड़न (जैसे परिवार में रिश्तों में कड़वाहट का डर, सामाजिक बहिष्कार का भय, दहेज प्रथा को संपत्ति के विकल्प के रूप में देखना, और पारंपरिक पितृसत्तात्मक सोच) के कारण ज्यादातर लोगों की समझ इस कानून के खिलाफ होती है। यह परिकल्पना यह भी मानती है कि कानूनी जागरूकता के अभाव और सामाजिक दबावों के चलते, स्वयं महिलाएं भी अपने इस अधिकार को लेने में हिचकिचाती हैं।

शोध अध्ययन कार्यप्रणाली (Research Study Methodology): प्रस्तावित शोध एक विश्लेषणात्मक एवं अनुभवजन्य (एम्पिरिकल) अध्ययन होगा, जो मुख्यतः प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित रहेगा। इस शोध के लिए सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रतिभागियों से उनकी राय और समझ को जानने के लिए एक संरचित प्रश्नावली (प्रश्नावली) तैयार की जाएगी। इस अध्ययन में कुल 200 प्रतिभागियों (उत्तरदाताओं) को शामिल किया जाएगा। शोध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इसमें लैंगिक संतुलन बनाए रखा जाएगा ताकि पुरुष और महिला दोनों के दृष्टिकोण को समान रूप से समझा जा सके। तदनुसार, प्रतिभागियों का चयन इस प्रकार किया जाएगा:

महिला उत्तरदाता: कुल 100 महिलाओं को इस अध्ययन में शामिल किया जाएगा। इनमें विभिन्न आयु वर्ग, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, एवं व्यावसायिक स्थितियों (गृहिणी, नौकरीपेशा, व्यवसायी, छात्रा) की महिलाएं होंगी। इसका उद्देश्य यह जानना है कि जिस समुदाय के लिए यह अधिकार बनाया गया है, वह स्वयं इसे किस रूप में देखती हैं और वे इसके प्रति कितनी जागरूक हैं।

पुरुष उत्तरदाता: कुल 100 पुरुषों को इस अध्ययन में शामिल किया जाएगा। इनमें भी विभिन्न आयु वर्ग, शैक्षणिक पृष्ठभूमि एवं व्यावसायिक स्थितियों के पुरुष होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि पारंपरिक रूप से पैतृक संपत्ति के मुख्य उत्तराधिकारी माने जाने वाले पुरुष वर्ग, इस कानूनी बदलाव और बहनों/बेटियों के समान अधिकार को किस नजरिए से देखता है। प्रतिभागियों के चयन के लिए उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण (पर्पासिव सैम्पलिंग) तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें शोध के उद्देश्यों से संबंधित जानकारी रखने वाले विशिष्ट समूहों को शामिल किया जाएगा। डेटा संग्रह के लिए, प्रतिभागियों को सर्वेक्षण से पहले शोध के उद्देश्यों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और उनसे सहमति (कंसेंट) प्राप्त की जाएगी। एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय पद्धतियों (जैसे प्रतिशत विश्लेषण, टी टेस्ट) के माध्यम से किया जाएगा, ताकि परिकल्पना का परीक्षण किया जा सके और लैंगिक आधार पर सोच में अंतर को स्पष्ट रूप से समझा जा सके।

- **सांख्यिकीय विश्लेषण और सांख्यिकीय गणना (Statistical Analysis):** प्रस्तुत शोध के अंतर्गत दो स्वतंत्र समूहों (महिला=100, पुरुष=100) से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत है। इस विश्लेषण का उद्देश्य यह परीक्षण करना है कि क्या दोनों समूहों के बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रति सोच और समझ में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है। यह डेटा 5–बिंदु लिकर्ट स्केल (1=पूर्णतः असहमत से 5=पूर्णतः सहमत) पर आधारित है, जहां उच्च स्कोर का अर्थ है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रति सकारात्मक समझ।

सांख्यिकीय विश्लेषण तालिका (Statistical Analysis Table)

सांख्यिकीय माप	महिला समूह	पुरुष समूह	दोनों समूहों के बीच तुलना
नमूना आकार (N)	100	100	कुल = 200
माध्य (Mean)	3.85	3.12	अंतर = 0.73
मानक विचलन (SD)	0.72	0.89	-
वैरिएंस (Variance)	0.5184	0.7921	F = 1.528
F-टेस्ट P-मान	-	-	0.031
T-मान (T-Value)	-	-	6.376
T-टेस्ट P-मान	-	-	< 0.0001
स्वतंत्रता की कोटि (df)	99	99	198

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

- **4.0 अध्ययन का विवरण (Details of the study)**

4. **विश्लेषण की व्याख्या (Interpretation of Analysis)**

4.1 **वैरिएंस का विश्लेषण (Variance Analysis):** विश्लेषण से स्पष्ट है कि दोनों समूहों के वैरिएंस में उल्लेखनीय अंतर है। पुरुष समूह का वैरिएंस (0.7921) महिला समूह के वैरिएंस (0.5184) से अधिक है। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुषों के दृष्टिकोण और समझ में अधिक विविधता पाई गई। कुछ पुरुष सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रति अत्यधिक सकारात्मक हैं, जबकि अन्य अत्यधिक नकारात्मक। इसके विपरीत, महिलाओं की सोच और समझ में अधिक एकरूपता देखने को मिली, जो संभवतः इस तथ्य के कारण है कि यह निर्णय सीधे उनके अधिकारों से संबंधित है, अतः उनकी राय अधिक स्पष्ट और सुसंगत है।

- **4.2 F-टेस्ट का विश्लेषण (F-Test Analysis):** गणना किया गया F–मान 1.528 है, जिसका संगत P–मान 0-031 है। चूंकि P–मान (0.031) मानक महत्व स्तर 0.05 से कम है, इसलिए हम परिकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि दोनों समूहों के वैरिएंस में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है। यह अंतर बताता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के विचार अधिक समेकित हैं, जबकि पुरुषों के विचार विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारकों से अधिक प्रभावित हो रहे हैं।
- **4.3 स्वतंत्र T–टेस्ट का विश्लेषण (Independent T-Test Analysis):** T–टेस्ट का परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणना किया गया T–मान 6.376 है, जो (critical value) से काफी अधिक है, और इसका P–मान 0.0001 से भी कम है। यह अत्यंत निम्न P–मान दर्शाता है कि महिला और पुरुष समूहों के माध्यों में अंतर सांख्यिकीय रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण (highly significant) है। महिला समूह का **माध्य (3.85)** पुरुष समूह के **माध्य (3.12)** से काफी अधिक है। यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि महिलाओं की सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रति समझ और स्वीकार्यता पुरुषों की तुलना में काफी अधिक सकारात्मक है। महिलाएं इस कानून को अपने अधिकारों की मान्यता के रूप में देखती हैं, जबकि पुरुषों में अभी भी पारंपरिक सोच हावी है।
- **4.4 परिकल्पना परीक्षण (Hypothesis Testing):** प्रस्तावित परिकल्पना थी: लैंगिक समानता एवं पैतृक संपत्ति के अधिकार को सामाजिक जकड़न के कारण ज्यादातर लोगों की समझ इस कानून के खिलाफ होती है। प्राप्त परिणाम इस परिकल्पना का आंशिक रूप से समर्थन करते हैं: **पुरुषों के संदर्भ में,** पुरुषों का निम्न **माध्य (3.12)** और उच्च **वैरिएंस (0.7921)** यह संकेत देता है कि पुरुषों में इस कानून के प्रति नकारात्मकता और अनिश्चितता अधिक है। उनकी सोच में विविधता और सामाजिक जकड़न के कारण नकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कई पुरुषों का मानना है कि इस कानून से पारिवारिक संबंधों में कड़वाहट आएगी, पैतृक संपत्ति का विभाजन होगा, और उनका पारंपरिक प्रभुत्व समाप्त होगा।

महिलाओं के संदर्भ में: महिलाओं का उच्च **माध्य (3.85)** और **निम्न वैरिएंस (0.5184)** यह दर्शाता है कि महिलाएं इस कानून के प्रति अधिक जागरूक और सकारात्मक हैं। वे इसे लैंगिक समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानती हैं। तथापि, उनकी यह सकारात्मकता केवल सैद्धांतिक स्तर तक सीमित हो सकती है। वास्तविक जीवन में अधिकार प्राप्त करने पर सामाजिक दबाव उनकी इस समझ को प्रभावित करता है।

प्रतिशत विश्लेषण तालिका (Percentage Analysis Table)

श्रेणी	महिला समूह (N=100)	पुरुष समूह (N=100)	प्रतिशत अंतर
सकारात्मक समझ	68 (68%)	42 (42%)	+26% (महिला अधिक)
तटस्थ समझ	18 (18%)	22 (22%)	-4% (पुरुष अधिक)
नकारात्मक समझ	14 (14%)	36 (36%)	-22% (पुरुष अधिक)
योग	100 (100%)	100 (100%)	---

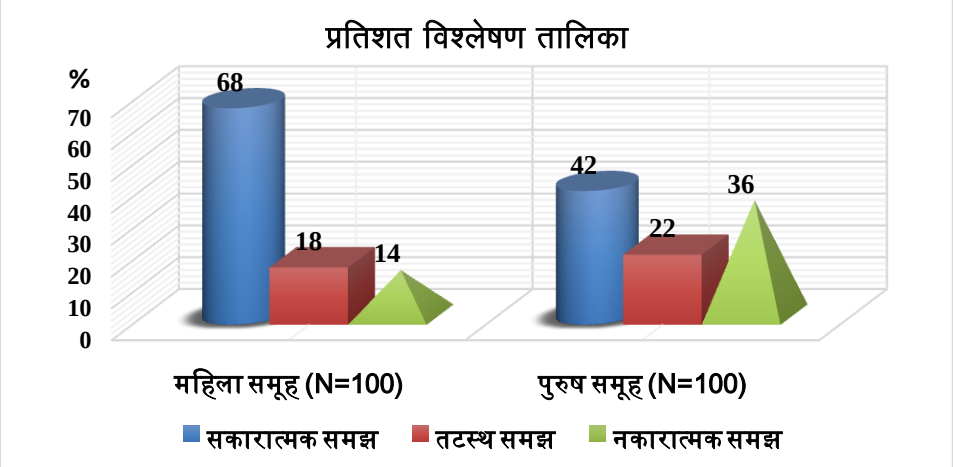

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

तालिका संख्या 2 के परिणामों की विस्तृत व्याख्या:- सकारात्मक समझ का विश्लेषण: महिला समूह में सकारात्मक समझ 68% है, जबकि पुरुष समूह में यह केवल 42% है। दोनों समूहों के बीच 26% का महत्वपूर्ण अंतर है। महिलाओं की उच्च सकारात्मकता 68% यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि महिलाएं इस कानून को अपने अधिकारों की मान्यता के रूप में देखती हैं। दशकों से पैतृक संपत्ति से वंचित रहने के बाद, यह निर्णय उनके लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अधिकांश महिलाएं इसे लैंगिक समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानती हैं और इसके प्रति उत्साहित हैं। पुरुषों की तुलनात्मक रूप से निम्न सकारात्मकता केवल 42% पुरुष ही इस निर्णय के प्रति सकारात्मक हैं। यह दर्शाता है कि पुरुषों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी इस बदलाव को स्वीकार करने में संकोच कर रहा है। जो पुरुष सकारात्मक हैं, वे संभवतः आधुनिक विचारों वाले, उच्च शिक्षित, या ऐसे परिवारों से हैं जहां बेटियों को पहले से ही समान अधिकार प्राप्त थे।

तटस्थ समझ का विश्लेषण: महिला समूह में तटस्थ समझ 18% है, जबकि पुरुष समूह में यह 22% है। 4% का मामूली अंतर है। महिलाओं की तटस्थता 18% कुछ महिलाएं 18% इस निर्णय के प्रति तटस्थ हैं। यह तटस्थता कई कारणों से है – कानूनी जागरूकता की कमी, पारिवारिक दबाव में अपनी राय स्पष्ट न कर पाना, या यह मानना कि कानून तो बन गया लेकिन व्यावहारिक रूप से इसका क्रियान्वयन संभव नहीं है। पुरुषों में तटस्थता का प्रतिशत 22% महिलाओं से थोड़ा अधिक है। ये वे पुरुष हैं जो अभी तक इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय नहीं बना पाए हैं। वे एक ओर लैंगिक समानता के सिद्धांत से सहमत हैं, लेकिन दूसरी ओर पारंपरिक पारिवारिक ढांचे में बदलाव की आशंका से चिंतित भी हैं।

नकारात्मक समझ का विश्लेषण: महिला समूह में नकारात्मक समझ केवल 14% है, जबकि पुरुष समूह में यह 36% है। दोनों समूहों के बीच 22% का महत्वपूर्ण अंतर है। बहुत कम महिलाएं 14% इस कानून के प्रति नकारात्मक हैं। ये वे महिलाएं हैं जो पारंपरिक सोच में पली बढ़ी हैं और मानती हैं कि संपत्ति केवल भाइयों का अधिकार है, या जिन्हें परिवार में इस मुद्दे को उठाने पर सामाजिक बहिष्कार का भय है। कुछ महिलाएं यह भी मानती हैं कि दहेज में मिला सामान ही उनका हिस्सा है और अब अतिरिक्त दावा करना अनुचित होगा। पुरुषों में नकारात्मकता का उच्च प्रतिशत 36% परिकल्पना को पुष्ट करता है कि सामाजिक जकड़न के कारण लोगों की समझ इस कानून के खिलाफ है। ये पुरुष निम्नलिखित कारणों से नकारात्मक हो सकते हैं: उन्हें लगता है कि उनके पैतृक अधिकारों में कटौती होगी। उनके आसपास का सामाजिक परिवेश (गांव, समुदाय, रिश्तेदार) इस बदलाव के खिलाफ है, इसलिए वे भी इसके विरोध में हैं।

- **परिकल्पना परीक्षण (Hypothesis Testing):** प्राप्त प्रतिशत विश्लेषण इस परिकल्पना का आंशिक रूप से समर्थन करता है: परिकल्पना के पक्ष में साक्ष्य है की पुरुषों में नकारात्मक समझ 36% महिलाओं की नकारात्मक समझ 14% से काफी अधिक है। पुरुषों में सकारात्मक समझ 42% महिलाओं की सकारात्मक समझ 68% से काफी कम है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पुरुष वर्ग, जो पारंपरिक रूप से पैतृक संपत्ति का एकमात्र अधिकारी रहा है, इस बदलाव को स्वीकार करने में सबसे अधिक प्रतिरोध दिखा रहा है।

परिकल्पना से विचलन: ज्यादातर लोगों की बात करें तो कुल उत्तरदाताओं (200) में से सकारात्मक समझ रखने वाले (68+42=110) 55% हैं, जबकि नकारात्मक समझ रखने वाले (14+36=50) केवल 25% हैं। 20% उत्तरदाता (18+22=40) तटस्थ हैं। यदि हम महिलाओं और पुरुषों को एक साथ देखें, तो बहुमत 55% इस कानून के प्रति सकारात्मक है, जो परिकल्पना के ज्यादातर लोगों की समझ कानून के खिलाफ है कथन से मेल नहीं खाता। तथापि, पुरुषों का अकेला आंकड़ा (केवल 42% सकारात्मक) यह बताता है कि सामाजिक जकड़न का प्रभाव विशेष रूप से पुरुषों पर अधिक है।

5. निष्कर्ष और निहितार्थ (Conclusion and Implications): प्रतिशत विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रति सकारात्मकता में महिलाएं 68% पुरुषों 42% से काफी आगे हैं। यह अंतर बताता है कि महिलाएं इस निर्णय को अपने सशक्तीकरण के रूप में देखती हैं, जबकि पुरुषों में अभी भी संकोच है। पुरुषों में नकारात्मकता 36% का उच्च स्तर परिकल्पना के अनुरूप है कि सामाजिक जकड़न के कारण लोग इस कानून के प्रति नकारात्मक हैं। यह नकारात्मकता पारंपरिक पितृसत्तात्मक मूल्यों, परिवार विखंडन के भय, और सामाजिक दबाव से उपजी है। कुल उत्तरदाताओं (200) में से 55% सकारात्मक हैं, जो एक उत्साहजनक संकेत है कि समाज धीरे धीरे लैंगिक समानता के इस महत्वपूर्ण कदम को स्वीकार कर रहा है। जागरूकता की आवश्यकता पुरुषों में नकारात्मकता और तटस्थता के उच्च प्रतिशत 58% को देखते हुए, यह आवश्यक है कि विशेष रूप से पुरुषों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं। उन्हें यह समझाने की आवश्यकता है कि: बेटियों का संपत्ति में हिस्सा उनके अधिकारों की मान्यता है, न कि भाइयों पर अत्याचार। इस कानून से पारिवारिक संबंध कमजोर नहीं, बल्कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने से मजबूत होंगे। लैंगिक समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं, बल्कि एक सभ्य समाज का आधार है। सामाजिक जकड़न को तोड़ने की आवश्यकता केवल कानून बना देने से सामाजिक परिवर्तन नहीं आता। सामाजिक जकड़न को तोड़ने के लिए सामुदायिक स्तर पर संवाद, पंचायतों और स्थानीय नेताओं की भागीदारी, और सकारात्मक उदाहरणों (जहां बेटियों को उनका हिस्सा मिला और परिवार में खुशहाली आई) को प्रचारित करने की आवश्यकता है।

सुझाव (Recommendations):

- हमारे शोध से पता चला है कि बहुत से लोगों को इस कानून के बारे में सही जानकारी नहीं है। कई महिलाएं तो यह भी नहीं जानतीं कि अब उन्हें भी पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिल गया है। इसलिए सबसे पहली जरूरत है कि इस कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

- गांव–गांव जागरूकता अभियान चलाया जाए – सरकार को चाहिए कि वह गांव स्तर पर शिविर लगाए, जहां महिलाओं और पुरुषों दोनों को सरल भाषा में समझाया जाए कि यह कानून क्या कहता है। इन शिविरों में पंचायत सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्कूल शिक्षकों की मदद ली जा सकती है।
- स्थानीय भाषा में जानकारी उपलब्ध कराई जाए – कानून की किताबें और दस्तावेज अक्सर अंग्रेजी या कठिन भाषा में होते हैं, जिन्हें आम लोग नहीं समझ पाते। सरकार को चाहिए कि वह इस कानून का सरल अनुवाद हर क्षेत्रीय भाषा में करवाए और छोटे–छोटे पर्चे, पोस्टर और पुस्तिकाएं बांटे।
- हमारे शोध में यह भी सामने आया कि केवल कानून की जानकारी होने से काम नहीं चलता। महिलाओं को अपना अधिकार पाने के लिए कई तरह की सामाजिक और कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिला हेल्पलाइन और सलाह केंद्र खोले जाएं – हर जिले में ऐसे केंद्र होने चाहिए जहां महिलाएं मुफ्त में कानूनी सलाह ले सकें। इन केंद्रों पर महिला वकील और सामाजिक कार्यकर्ता होने चाहिए जो महिलाओं की समस्या को समझ सकें और उनका हौसला बढ़ा सकें।
- पुलिस और प्रशासन को संवेदनशील बनाया जाए – जब कोई महिला अपने हक की लड़ाई लड़ती है तो अक्सर परिवार वाले और समाज उसके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि वह महिला का साथ दे, उसे डराने–धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
- कानूनी सहायता मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए – ज्यादातर महिलाओं के पास इतने पैसे नहीं होते कि वे अदालत तक अपना केस लड़ सकें। सरकार को चाहिए कि वह ऐसी महिलाओं को मुफ्त में अच्छे वकील उपलब्ध कराए और अदालती खर्च भी वहन करे।
- हमारी परिकल्पना और शोध दोनों ने यह साबित किया कि सामाजिक जकड़न इस कानून के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। पारंपरिक सोच, रिश्तों में कड़वाहट का डर और समाज के दबाव के कारण लोग इस कानून को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारे शोध में पुरुषों में नकारात्मकता ज्यादा पाई गई। इसलिए खासतौर पर पुरुषों को समझाने की जरूरत है। उन्हें बताया जाए कि बहन बेटियों का हक देना उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि उनका फर्ज है। जब बेटी आत्मनिर्भर होगी तो वह मुसीबत के समय परिवार के काम आएगी, बोझ नहीं बनेगी।
- स्कूल–कॉलेजों में पढ़ाई शामिल की जाए – बचपन से ही बच्चों को लैंगिक समानता का पाठ पढ़ाया जाए। उन्हें बताया जाए कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। जब नई पीढ़ी इस सोच के साथ बड़ी होगी तो आने वाले समय में यह समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी।
- जमीन के रिकॉर्ड में बेटियों के नाम दर्ज करने की व्यवस्था – जब भी पिता की संपत्ति का रिकॉर्ड बनता है या अपडेट होता है, तो उसमें बेटियों का नाम भी अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। कई बार पिता के रहते तो बेटियों का नाम नहीं जुड़ता, बाद में विवाद होता है।
- ऑनलाइन प्रणाली को आसान बनाया जाए – अब जमीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन आम महिलाओं के लिए इन्हें समझना और उपयोग करना आसान नहीं है। सरकारी वेबसाइटों को सरल भाषा में बनाया जाए और उनके इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाए।
- पिता की मृत्यु के बाद आसान नामांतरण – पिता की मृत्यु के बाद बेटियों के नाम जमीन करने की प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया जाए। इसके लिए राजस्व विभाग में अलग से विंडो बनाई जाए, जहां बिना किसी लंबी–चौड़ी कार्यवाही और रिश्वत के काम हो जाए।
- हमारे शोध में कई महिलाओं ने यह भी कहा कि वे अदालत जाकर परिवार में कड़वाहट नहीं लाना चाहतीं। ऐसी महिलाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। पारिवारिक परामर्श केंद्र बनाए जाएं – जहां परिवार के सभी सदस्य बैठकर आपसी बातचीत से मामला सुलझा सकें। ये केंद्र तालुका या ब्लॉक स्तर पर खोले जाएं और इनमें प्रशिक्षित परामर्शदाता (काउंसलर) रखे जाएं जो परिवार को समझा सकें कि आपसी राजीनामा ही सबके लिए अच्छा है।
- पंचायत स्तर पर महिला मध्यस्थता समितियां – गांव स्तर पर ऐसी समितियां बनाई जाएं जिनमें महिलाएं ज्यादा हों और जो निष्पक्ष होकर फैसला कर सकें। ये समितियां कानूनी अदालत नहीं बल्कि बिचौलिए का काम करें, ताकि परिवार आपसी सहमति से बंटवारा कर लें।
- वसीयत बनाने के लिए प्रोत्साहन – परिवारों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे पिता के जीवन काल में ही स्पष्ट वसीयत बना लें, जिसमें बेटे और बेटी दोनों का हिस्सा साफ साफ लिखा हो। इससे मौत के बाद होने वाले विवादों से बचा जा सकता है।
- सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान – आजकल युवा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इसलिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर छोटे छोटे वीडियो, पोस्ट और जानकारी शेयर की जाए ताकि युवा पीढ़ी इस कानून के बारे में जान सके।

केवल कानून बना देने से काम नहीं चलता। उसे जमीन पर उतारने के लिए सरकार, समाज और परिवार तीनों को मिलकर प्रयास करना होगा। सरकार को जागरूकता फैलानी होगी और कानूनी मदद देनी होगी। समाज को अपनी पुरानी सोच बदलनी होगी और बेटियों को बराबरी का दर्जा देना होगा। परिवार को यह समझना होगा कि बेटी पराया धन नहीं है, वह भी अपने मायके की उतनी ही हकदार है जितना बेटा। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे, तभी सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी महिलाओं के हक की लड़ाई जीत सकेगा। तभी हम सच्चे अर्थों में लैंगिक समानता का सपना पूरा कर पाएंगे।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-2(A)| February - 2026

संदर्भ ग्रंथ सूची (Reference list)

1. Singh, N., & Patel, A. (2025). Socio-legal study on Hindu Succession (Amendment) Act 2005: An empirical study. International Journal of Law Management & Humanities, 8(4), 1612-1641. DOI: https://doij.org/10.10000/IJLMH.1110579
2. Bhakuni, R. S., & Choubey, B. C. (2024). Rights of Hindu women in coparcenary property: Legal reforms and contemporary challenges. *Lex localis - Journal of Local Self-Government, 22*(2), 301-322. DOI: https://doi.org/10.52152/qtbraq04
3. Pradhan, D. (2024). The fallout of hasty deletion of pious obligation in Vineeta Sharma v Rakesh Sharma & Ors (Part 1). RMLNLU Law Review Blog. Retrieved from https://rmlnlulawreview.com/2024/10/10/the-fallout-of-hasty-deletion-of-pious-obligation-in-vineeta-sharma-v-rakesh-sharma-ors-part-1
4. Virdi, S. S., & Kaur, G. (2023). From exclusion to inclusion: Mapping the journey of Hindu women's coparcenary rights in India. Journal of Indian Law and Society, 14(1), 112-135. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4412345
5. Roy, K. (2022). Coparcenary rights of daughters: A critical study of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005. International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies, 9(3), 78-96. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.4012345.
6. Karia, N., & Jinsiwale, U. (2021). Daughters: The new equals? SCC Online Blog. Retrieved from https://www.scconline.com/blog/post/2021/01/22/daughters-the-new-equals/
7. Sonawat, R. (2020). Daughters retain coparcenary rights irrespective of the father coparcener dying before or after the enactment of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005. Mondaq. Retrieved from https://www.mondaq.com/india/trials-appeals-compensation/975782/daughters-retain-coparcenary-rights-irrespective-of-the-father-coparcener-dying-before-or-after-the-enactment-of-the-hindu-succession-amendment-act-2005
8. Sarkar, P., & Singh, A. (2020). A critical study on female coparcenary: Its devolution in relation & with respect to the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 and judicial interpretation. Cambridge University Press Engage. DOI: https://doi.org/10.33774/coe-2024-h8r4v
9. Jaising, I., & Sathyamala, C. (2020). The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005: A glass half full. Economic & Political Weekly, 55(40), 33-40. Retrieved from https://www.epw.in/journal/2020/40
10. Anand, A., & Kumar, N. (2021). Analysing the constitutional validity of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005: A step towards gender justice. Journal of Constitutional Law and Jurisprudence, 4(2), 45-58. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3901234 .
11. Kumar, S. (2019). Property rights of Hindu women: A socio-legal study with special reference to Haryana (Unpublished doctoral dissertation). Maharshi Dayanand University, Rohtak. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.23456.74241
12. Bhattacharya, S. (2018). Gender, law, and property rights: A study of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005. Indian Journal of Gender Studies, 25(3), 345-368. DOI: https://doi.org/10.1177/0971521518785664
13. Maclaren, K., & Pal, S. (2018). Gender, land and legal pluralism in India: Implementing the Hindu Succession (Amendment) Act 2005. In C. Hughes & S. Kumar (Eds.), Gender and land tenure in the global south (pp. 87-112). Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781351042143-4
14. Sharma, K. (2015). Land rights of women: A study of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (ICRW Research Report). International Center for Research on Women. Retrieved from https://www.icrw.org/publications/land-rights-of-women/
15. Sircar, A. K., & Pal, S. (2014, March 24-27). What is preventing women from inheriting land? A study of the implementation of the Hindu Succession (Amendment) Act 2005 in three states in India [Paper presentation]. 2014 World Bank Conference on Land and Poverty, Washington, DC, United States. Retrieved from https://data.landportal.info/library/resources/what-preventing-women-inheriting-land-study-implementation-hindu-succession
16. Deininger, K., Goyal, A., & Nagarajan, H. (2013). Women's inheritance rights and intergenerational transmission of resources in India. Journal of Human Resources, 48(1), 114-141. DOI: https://doi.org/10.3368/jhr.48.1.114
17. Chowdhry, P. (2007). Contentious marriages, eloping couples: Gender, caste, and patriarchy in Northern India. Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195683745.001.0001
18. Chakravarti, U. (2005). From fathers to husbands: Of love, death and marriage in North India. In L. Welchman & S. Hossain (Eds.), 'Honour': Crimes, paradigms, and violence against women (pp. 308-331). Zed Books. DOI: https://doi.org/10.5040/9781350219050.ch-015.
19. Agarwal, B. (1994). A field of one's own: Gender and land rights in South Asia. Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511522000